

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 3-49-2014-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (ठ) के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच संस्थित करने के लिये प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच करने की रीति) नियम, 2014 है;
- (2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी;

(ग) “आयोग” से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्ति के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं.

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति.—(1) जब कभी आयोग, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करता है, तब नियुक्ति आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी.

(2) अधिनियम के अधीन जांच करने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतः संबंधित व्यक्ति को एक सूचना उससे अपेक्षा करते हुए जारी करेगा कि ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कारण बताएं कि क्यों न उसके विरुद्ध जांच की जाए.

(3) उप नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना में किए गए अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति दर्शित होगी.

(4) यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा. उस व्यक्ति की या तो व्यक्तिगत रूप से या तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति के लिये तारीख नियत करने के लिए सूचना जारी करेगा.

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य, जो वह जांच के लिये सुसंगत तथा आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने के लिये अवसर देगा.

(6) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन तथा अपेक्षित किए गए अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से असफल रहता है, उपेक्षा या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी को कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही करने की शक्ति होगी.

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जांच करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथासंभव उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि आयोग के समक्ष कार्यवाही में उसकी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उसके कृत्यों के निर्वहन में की जाती है.

(8) न्यायनिर्णायक अधिकारी, यथासंभव, संबंधित व्यक्ति को सूचना जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जांच पूर्ण करेगा.

(9) जहां जांच उपरोक्त कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, न्यायनिर्णायक अधिकारी लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष से आठ दिनों से अनधिक आगामी कालावधि बढ़ाने की मांग कर सकेगा.

(10) जांच पूर्ण होने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाहियों के साथ अपनी जांच का निष्कर्ष आयोग को पन्द्रह दिनों के भीतर देगा.

No.F-3-49-2014-XIII.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of Section 180 read with sub-section (1) of Section 143 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules regulating the procedure for holding the inquiry by an Adjudicating Officer, namely :—

RULES

1. Short title and Commencement.—

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2014;
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definition.—

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
 - (b) "Adjudicating Officer" means the Adjudicating Officer appointed by Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission under sub-section (1) of Section 143 of the Act;
 - (c) "Commission" means Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
- (2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Manner of holding Inquiry by Adjudicating Officer.—(1) Whenever commission appoints an adjudicating officer under sub-section (1) of Section 143, a copy of the appointment order shall be provided to the person concerned.

(2) In holding an inquiry under the Act, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to the person concerned requiring him to show cause, within twenty one days from the date of issue of such notice, as to why an inquiry should not be held against him.

(3) Every notice under sub-rule (2) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(4) If, after considering the reasons if any, shown by concerned person or where no reason is shown, the Adjudicating Officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall for reasons to be recorded in writing, issue a notice for fixing a date for the appearance of that person either personally or through an authorized representative.

(5) The Adjudicating Officer shall give an opportunity to the concerned person to produce such evidence as he may consider relevant and necessary for the inquiry.

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear before the Adjudicating Officer as required under sub-rule (2), the Adjudicating Officer shall have power to proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(7) The Adjudicating Officer, while holding an inquiry, shall follow as far as possible, the same procedure as is followed in the proceedings before the Commission in exercise of its powers and in discharge of its functions under the provisions of the said Act.

(8) The Adjudicating Officer shall complete the inquiry as far as possible, within ninety days from the date of issue of notice to the concerned person.

(9) Where the inquiry may not be completed within the aforesaid period, the Adjudicating Officer may, after recording reasons in writing, seek extension of time from the Chairperson of the Commission for a further period not exceeding sixty days.

(10) Upon completion of the inquiry the Adjudicating Officer shall place his findings of enquiry along with proceedings to the Commission within fifteen days.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.